UPAU010000472026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, औरैया

सिविल प्रकीर्ण संख्या–02/2026

अन्नपूर्णा सेवा समर्पण संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य

दिनांक–23.04.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 3ग पर सुना गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र 3ग मय शपथ पत्र 4ग प्रकीर्ण सिविल वाद प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ कराने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त वाद प्रतिवादी के विरुद्ध सोसाइटी अधिनियम की धारा 5क(क)(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के बीमार होने के कारण वह उक्त वाद की पैरवी सही से नहीं कर पाया, जिस कारण न्यायालय द्वारा उसके उपरोक्त वाद को उसकी अनुपस्थिति में दिनांक 12.09.2025 को निरस्त कर दिया। वह बीमार होने के कारण समयानुसार पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। उसने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः प्राथी द्वारा प्रकीर्ण सिविल वाद दायर करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विलम्ब को क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समुचित कारण दर्शाये जाने पर ही न्यायालय द्वारा विलम्ब उपशमित किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा प्रकीर्ण सिविल वाद विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का यह आधार लिया गया है कि वह बीमार होने के कारण अपने वाद की पैरवी सही से नहीं कर पाया, जिस कारण न्यायालय द्वारा उसके उपरोक्त वाद को उसकी अनुपस्थित में निरस्त कर दिया गया। उसने प्रकीर्ण सिविल वाद प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई भूल नहीं की है, जो भी भूल हुई है, वह बीमारी के कारण हुई है। प्रार्थी ने अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में शपथपत्र 4ग भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रकीर्ण सिविल वाद विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त व समुचित कारण दर्शाया है। विपक्षी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल न्यायालय में उपस्थित हैं। प्रार्थी द्वारा प्रकीर्ण सिविल वाद विलम्ब से दायर की गयी, जिसके लिए विपक्षी की क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र 3ग अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम हर्जे पर स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 3ग अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 500/–रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रकीर्ण सिविल वाद प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाता है। प्रकीर्ण सिविल वाद अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 02.05.2026 को पेश हो।

<u>दिनांक–23.04.2026</u>

(मयंक चौहान)
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.04.23 14:46:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court